

राजस्थान सरकार
राजस्व (मुप-6) विभाग

क्रमांक:-प.6(7)राज.-6 / 1995 | 24

जयपुर, दिनांक :- 27.9.2011

अधिसूचना

राजरथान भू-राजस्व अधिनियम-1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा-20 (ख) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान प्रशासनिक रोवा के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अंधिकारियों को जिन्हें कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांक: 1(3)कार्मिक / क-4 / 10 दिनांक 28.06.2011 के द्वारा उनके नाम के समुख अंकित जिलों में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिरट्रेट (प्रशिक्षण पर) पदस्थापित किया है, को सहायक कलेक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	जिला जिसमें पदस्थापित किया है।
1.	कृष्ण देवी	कोटा
2.	चंद्रल वर्मा	जालोर
3.	प्रतिष्ठा पिलानिया	अहोवर
4.	मोहन दान रतनू	सवाई माधोपुर
5.	राकेश कुमार	बाडमेर
6.	बलदेव प्रसाद शर्मा	झुंगरपुर
7.	सुनीता मीणा	पाती
8.	सुनीता वर्मा	सोकर
9.	ओम प्रकाश	झालावाड़
10.	चेतन चौहान	धौलपुर
11.	मुकेश कुमार मीणा	सिरोही
12.	राम रत्न सौंकरिया	बांसवाड़ा
13.	अभिषेक सिंह	भरतपुर
14.	अखिलेश कुमार पिपल	बारां

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मोहन लाल नेहरा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माओमुख्यमंत्री महोदय।
- निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- रामरत्न संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- रामरत्न जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- निवेशक, जनसम्पर्क निवेशालय, जयपुर।
- निवेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.9.2011 में प्रकाशन हेतु।
- “राविरा” राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-4) विभाग।
- उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
- रक्षित पत्रावली।

२०११
शासन उप सचिव